BCCI BULLETIN
BIHAR CHAMBER OF COMMERCE & INDUSTRIES
Estd. 1926
Vol. XXXXVI | 11th February, 2015 | No. 3

चैम्बर ने जताया पटना पुलिस का आभार

राजधानी के गोविंद मित्रा रोड स्थित शारदा कॉम्प्लेक्स के बैद्यनाथ फार्मा से चोरी गए 30 लाख रुपए की आंशिक बरामदगी हो गई है। बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स एण्ड इण्डस्ट्रीज के अध्यक्ष श्री ओ. पी. साह ने पटना पुलिस के प्रति आभार जताया है। चैम्बर अध्यक्ष ने भास्कर को बताया कि पटना पुलिस की त्वरित कार्रवाई के कारण ही चोरी गए रुपए की बरामदगी हो सकी है। गौरतलब है कि 25-27 जनवरी के बीच शारदा कॉम्प्लेक्स की दो अगल-बगल की दुकानों से 26.20 और 3.80 लाख रुपए चोरी हो गई थी। बिल्डिंग की छत पर ही 22 लाख रुपए पुलिस ने बरामद किए हैं।

(साभार : दैनिक भास्कर, 3.2.2015)

कृष्ण मुरारी किशन का निधन एक अपूरणीय क्षति

बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स एण्ड इण्डस्ट्रीज ने वरिष्ठ छायाकार / पत्रकार कृष्ण मुरारी किशन के निधन पर गहरा शोक प्रकट किया है। चैम्बर अध्यक्ष श्री ओ. पी. साह ने शोक जताते हुए कहा कि किशन जी एक व्यक्ति नहीं, बल्कि संस्था थे। श्री ओ. पी. साह ने कहा कि चैम्बर से किशन जी का गहरा जुड़ाव था और इस अपूरणीय क्षति पर चैम्बर सदस्यों में शोक है। **(साभार : दैनिक भास्कर, 3.2.2015)**

इंडस्ट्रियल पार्क के लिए 50 करोड़ तक की सब्सिडी

बिहार में सबसे बड़ी समस्या जमीन की है। सरकार के जो इंडस्ट्रियल पार्क हैं, वो पहले से ही फुल हैं। ऐसे में सरकार किसानों और व्यवसायियों से अनुरोध कर रही है कि वे खुद का इंडस्ट्रियल पार्क बनाएं। लेकिन पार्क का न्यूनतम क्षेत्रफल 25 एकड़ से कम नहीं हो। बिहार औद्योगिक नीति के तहत यह योजना बिहार सरकार लेकर आयी है। इसमें ऐसे व्यक्ति, जिनकी जमीन होगी, उनको कुल प्रोजेक्ट कॉस्ट का 30 प्रतिशत सब्सिडी के रूप में दिया जायेगा। इसकी अधिकतम राशि 50 करोड़ होगी। उक्त बातें प्रदेश के उद्योग मंत्री डॉ. भीम सिंह ने होटल अशोका ग्रैंड, भागलपुर में निजी औद्योगिक क्षेत्र की स्थापना के लिए आयोजित रोड शो के बाद कहीं।

(साभार : प्रभात खबर, 29.1.2015)

190 परियोजनाओं को हरित मंजूरी

देश में औद्योगिक गतिविधियों की रफ्तार बढ़ाने के लिए सरकार ने जून से दिसम्बर, 2014 के दौरान खनन और इस्पात जैसे क्षेत्रों में 6.31 लाख करोड़ रुपये की 190 परियोजनाओं को हरित मंजूरी दी। उद्योग जगत द्वारा यह चिंता जताई जा रही थी कि पूर्ववर्ती संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन सरकार के कार्यकाल में इस तरह की मंजूरियां हासिल करना मुश्किल था। एक उच्च पदस्थ सूत्र ने कहा कि सार्वजनिक व निजी क्षेत्र दोनों की कंपनियों को इस तरह की मंजूरियां मिल रही है। हालांकि, इसके लिए 'पर्यावरण क्षति को कम करने के उपायों' की शर्त लगाई जा रही है। सूत्र ने कहा कि जून से दिसम्बर, 2014 के दौरान 6.31 लाख करोड़ रुपये की 190 परियोजनाओं को मंजूरी दी गई। मंत्रालय ने 4.49 लाख करोड़ रुपये की 37 गैर कोयला खनन परियोजनाओं, 95,000 करोड़ रुपये की 48 बुनियादी ढांचा परियोजनाओं तथा 40,600 करोड़ रुपये की 69 औद्योगिक परियोजनाओं को मंजूरी दी।

(साभार : बिज़नेस स्टैंडर्ड, 2.2.2015)

मसाला उद्योग के लिए बनेगी राष्ट्रीय नीति

केंद्र सरकार ने बाजार में मिलावटी मसालों की मौजूदगी पर जिंता जताई है। उसने उत्पादकों और कारोबारियों से मसालों की गुणवत्ता, पैकेजिंग और ब्रांडिंग पर ध्यान देने को कहा है ताकि विश्व बाजार के प्रतिस्पर्धा का मजबूती से सामना कर सकें।

वाणिज्य सचिव राजीव खेर मसालों के निर्यात और विकास पर आयोजित सेमिनार में बोल रहे थे। उन्होंने मसाला क्षेत्र से जुड़े सभी पक्षों से "मसालों और मसाला व्यापार पर एक राष्ट्रीय नीति की रूपरेखा पर अपने विचार' प्रस्तुत करने को कहा। खेर ने किसानों और व्यापारियों से मसालों की गुणवत्ता पर अधिक ध्यान देने पर जोर दिया। उन्होंने कहा, "गुणवत्ता के मोर्चे पर ही वास्तविक प्रतिस्पर्धा है।

अप्रैल से सितम्बर में 12% अधिक निर्यात : अप्रैल-सितम्बर 2014 में मसालों का निर्यात 12 फीसदी बढ़ा है। इस दौरान 4,21,570 टन मसालों का निर्यात हुआ। यह पिछले साल की समान छमाही के 3,76,584 टन से 44,986 टन अधिक है।

भारत मसालों का सबसे बड़ा उत्पादक : भारत मसालों का दुनिया में सबसे बड़ा उत्पादक, उपभोक्ता और निर्यातक है। लेकिन उसे अब वियतनाम, चीन और ग्वाटेमाला जैसे देशों से टक्कर मिल रही है। देश से होने वाले मसालों के कुल निर्यात में मिर्च, पुदीना (मिंट) के उत्पाद, जीरा, मसाला तेल, काली मिर्च, हल्दी, धनिया, करी पावडर/पेस्ट और मेथी का प्रमुख योगदान है।

"जायफल में भारत को इंडोनेशिया से और दालचीनी में श्रीलंका से कड़ी प्रतिस्पर्धा मिल रही है। ऐसे में हमें अपने मसालों की गुणवत्ता सुधारने और इनका रकबा बढ़ाने की जरूरत है।" **–राधा मोहन सिंह,** कृषि मंत्री

(साभार : दैनिक भास्कर, 28.1.2015)

वैकल्पिक प्लॉट आवंटित करने का आदेश

उच्चतम न्यायालय ने दिल्ली राज्य औद्योगिक विकास निगम को अशोक कुमार को एक प्लॉट मुहैया कराने के आदेश दिए हैं जिन्होंने मांगी गयी पूरी रकम ब्याज के साथ चुका दी। निगम ने प्लॉट का आवंटन कर दिया था लेकिन बाद में भुगतान में देरी का आरोप लगाते हुए आवंटन रद्द कर दिया।

निगम ने तर्क दिया कि उसके अधिकारी ने देरी से भुगतान स्वीकार करने में मूलभूत गड़बड़ी कर दी थी। उच्चतम न्यायालय ने इस तर्क को स्वीकार करने से इनकार कर दिया और कहा कि निगम ने यह रकम करीब पांच साल तक अपने पास रखी और इसे उद्योगपति को नहीं लौटाया यानी उद्योगपति को इस बात का पूरा भरोसा था कि उन्हें निश्चित रूप से प्लॉट मिलेगा। **(साभार : बिज़नेस स्टैंडर्ड, 2.2.2015)**

इस्तेमाल न होने पर अधिग्रहीत जमीन हो जाती है अवैध

न सिर्फ पुराने केंद्रीय जमीन अधिग्रहण अधिनियम, 1984 के तहत बल्कि कई राज्यों के कानून के मुताबिक भी अधिग्रहीत की गई जमीन का दशकों तक इस्तेमाल न करने पर यह पूरी प्रक्रिया अवैध हो जाती है। इस बात का खुलासा उच्चतम न्यायालय द्वारा दिए गए एक फैसले में हुआ जिसमें महाराष्ट्र क्षेत्रीय नगरीय नियोजन अधिनियम, 1991 भी जुड़ा हुआ था। पिछले दिनों उच्चतम न्यायालय ने कई ऐसे मामलों में फैसला सुनाया है जिनमें अधिग्रहण के पांच साल से अधिक समय बाद तक जमीन का इस्तेमाल नहीं किया गया और इसलिए नया कानून लागू किया गया और अधिग्रहण रद्द कर दिया गया। पिछले हफ्ते भी ऐसे कई मामलों में अदालत ने 2013 के कानून की धारा 24 (2) के मुताबिक अधिग्रहण को रद्द कर दिया। (करनैल कौर बनाम पंजाब राज्य) **(विस्तृत : बिज़नेस स्टैंडर्ड, 26.1.2015)**

उद्योग को बढ़ावा देने के लिए जिलों की होगी रिसोर्स मैपिंग

केंद्रीय सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योग राज्यमंत्री गिरिराज सिंह ने कहा कि उद्योग-धंधों को बढ़ावा देने के लिए सभी जिलों की रिसोर्स मैपिंग कराई जाएगी। इसके जरिए सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योगों का तेजी से विकास होगा।

(विस्तृत : दैनिक भास्कर, 26.1.2015)

अवार्ड ने उद्यमियों से उम्मीदें बढ़ा दी हैं: नीतीश मिश्रा

बिहार का पहला औद्योगिक विकास तभी होगा जब बिहार के ही उद्यमी आगे बढ़ेंगे। इसके बाद ही बाहर के उद्यमी बिहार के विकास में हाथ बंटाएंगे। इस नाते हमें बिहार के उद्यमी की मदद करनी चाहिए। (विस्तृत : दैनिक भास्कर, 22.1.2015)

वैश्यों को मिले आबादी के मुताबिक टिकट

भामाशाह जयंती को जिलास्तर पर आयोजित करेगा वैश्य महासम्मेलन। इसका प्रस्ताव अखिल भारतीय वैश्य महासम्मेलन के प्रदेश अध्यक्ष गंगा प्रसाद ने महासम्मेलन के कार्यसमिति की बैठक में रखा। उन्होंने वैश्यों को आबादी के मुताबिक चुनावी टिकट देने की मांग की। इसका आयोजन आशियाना मोड़ स्थित सामुदायिक भवन में किया गया। अध्यक्षता करते हुए श्री प्रसाद ने कहा कि आयोजन से वेश्यों का सामाजिक और राजनैतिक कद भी बढ़ेगा। (दैनिक भास्कर, 22.1.2015)

2014 में खुले 344 फूड प्रोसेसिंग उद्योग

बिहार में उद्योग लगाने वालों की संख्या बढ़ रही है। भले ही बिहार में बड़े उद्योग बिहार में बड़ी संख्या में नहीं खुल रहे हों, किंतु लघु व मध्यम उद्योगों के अलावा फूड प्रोसेसिंग उद्योगों की संख्या में अच्छा-खासा इजाफा हुआ है। वर्ष 2014 में सूबे में 344 फूड प्रोसेसिंग उद्योग खुले है। इसके अलावा दो फूड पार्क भी खुले हैं। फूड प्रोसेसिंग उद्योग खुलने से बिहार में 42,096 लोगों को रोजगार मिला है।

• 344 फूड प्रोसेसिंग उद्योगों में मिला सूबे के 42,096 लोगों को रोजगार • चावल-गेहूँ मिल, दुग्ध-बिस्कुट उत्पादन और तेल मिलें खोलने में बिहार ने दिखायी रुचि • वर्ष 2015 में एक हजार नये फूड प्रोसेसिंग उद्योग खुलने की है उम्मीद।

उद्योग	कितने खुले	कॉमर्शियल उत्पादन	सामान्य उत्पादन	लोगों को मिले रोजगार
राइस मिल्स	151	89	62	5204
व्हीट मिल्स	40	27	13	2250
माजा प्रोडक्ट्स	34	21	13	1562
कोल्ड स्टोरेज	02	01	01	109
फूड प्रोसेसिंग	13	07	06	532
मिल्क प्रोसेसिंग	10	05	05	590
मखाना	03	02	01	056
शहद	02	02	00	032
बिस्कुट	08	07	01	1848
खाद्य तेल	10	08	02	1941
आइस क्रीम	04	02	02	064
अन्य उद्योग	17	12	05	1388
आरएबीसी	50	24	26	1820

(साभार : प्रभात खबर, 22.1.2015)

आम बजट के बाद आएगी नई राष्ट्रीय कपड़ा नीति

नई राष्ट्रीय कपड़ा नीति आम बजट के बाद आएगी। इसमें 2024-25 तक 300 अरब डॉलर के निर्यात तथा 3.5 करोड़ अतिरिक्त नौकरियों के सृजन का लक्ष्य होगा।

केंद्रीय कपड़ा मंत्री संतोष कुमार गंगवार ने इस बारे में पूछे जाने पर उन्होंने कहा, बजट आने दीजिए, उसके बाद....।' वित्त वर्ष 2015-16 का बजट अगले महीने पेश किया जाएगा।

घरेलू व अंतरराष्ट्रीय मोर्चे पर कपड़ा उद्योग में आए विभिन्न प्रकार के बदलावों तथा कपड़ा व परिधान उद्योग के लिए रूपरेखा की जरूरत के मद्देनजर कपड़ा मंत्रालय ने राष्ट्रीय कपड़ा नीति, 2000 की समीक्षा की प्रक्रिया शुरू की है।

(साभार : बिज़नेस स्टैंडर्ड, 29.1.2015)

बिहार में ऑनलाइन सामान मंगवाना पड़ेगा महंगा

बिहार में ऑनलाइन खरीदारी करनेवालों की जेब ज्यादा ढीली होगी। राज्य सरकार ऑनलाइन सामान मंगवाने पर इंट्री टैक्स लगाने जा रही है। वाणिज्य कर विभाग ने इसकी पूरी तैयारी कर ली है। उम्मीद की जा रही है कि अगले महीने फाइल कैबिनेट में भेजी जाएगी। कैबिनेट से स्वीकृति मिलते ही राज्य में ऑनलाइन सामान मंगवाना महंगा हो जाएगा।

• वाणिज्य कर विभाग 4.8 एवं 12 प्रतिशत इंट्री टैक्स लेता है • 3000 करोड़ अतिरिक्त राजस्व की प्राप्ति होगी ऑनलाइन सामान पर इंट्री टैक्स से।

छह वर्षों में मिला इंट्री टैक्स

वित्तीय वर्ष	टैक्स (करोड़ में)
2008-09	1252.95
2009-10	1607.71
2010-11	2007.72
2011-12	2591.16
2012-13	3267.87
2013-14	4282.84

कौन वसूलेगा टैक्स : जानकारी के अनुसार, जो कुरियर या ट्रांसपोर्ट कंपनी सामान मंगवाएगी, उसे वाणिज्य कर विभाग से रजिस्ट्रेशन लेना होगा। ट्रांसपोर्ट कंपनी सामान की डिलीवरी से पहले ग्राहकों से विभाग द्वारा निर्धारित इंट्री टैक्स वसूल करेगी जिसे कुरियर या ट्रांसपोर्ट कंपनी विभाग में जमा करेगी।

अभी क्या है नियम : फिलहाल वाणिज्य कर विभाग उन्हीं वस्तुओं पर इंट्री टैक्स लेता है जिनकी कीमत 25 हजार रुपये से अधिक है। उम्मीद की जा रही है कि आनेवाले दिनों में राज्य सरकार 25 हजार रुपये की सीमा खत्म कर देगी।

(साभार : हिन्दुस्तान, 30.1.2015)

बिहार में निर्यात की अपार संभावनाएं

बिहार में निर्यात की व्यापक संभावनाएं हैं। अनाज, फल, एवं सब्जी का यहाँ से बड़े पैमाने पर निर्यात हो सकता है।

भारत का निर्यात वर्ष 2013-14 में 325 बिलियन अमेरिकी डालर रहा। 2019-20 तक इसे 1000 बिलियन डालर पर ले जाने का लक्ष्य रखा गया है। बिहार में भी निर्यात को बढ़ावा दिया जा सकता है। इंफ्रास्ट्रक्चर में सुधार इसके लिए बेहद जरूरी है। रेल, सड़क, जल एवं हवाई मार्ग की सुविधा मिलने से ही बिहार से मक्का, जूस, फल, सब्जी, बिस्कुट, चावल आदि का हम निर्यात बढ़ा सकते हैं।

(साभार : दैनिक जागरण, 30.1.2015)

कर बढ़ने से महंगी हो सकती हैं मिठाइयां

राज्य सरकार अगर वाणिज्य कर विभाग के प्रस्ताव को हरी झंडी दे दे तो शराब के बाद सूबे में मिठाइयां भी महंगी हो जाएंगी। आज भी राजधानी में पड़ोसी राज्यों के बड़े शहरों की तुलना में मिठाइयां महंगी बिकती हैं। विभाग लंबे समय से इस आशय का प्रस्ताव तैयार कर बैठा है।

मिली जानकारी के अनुसार वर्ष 2012 से ही वाणिज्य कर विभाग महंगी शराब व मिठाइयों पर क्रमशः टैक्स बढ़ाने व लगाने का विचार कर रहा है। पिछले दिनों सरकार ने 845 रुपये से महंगी शराब पर टैक्स बढ़ाने की अनुमति दे दी। अब अधिकारी 500 रुपये किलो से महंगी मिठाइयों पर टैक्स लगाने के लिए नए सिरे से प्रयास में जुट गए हैं। विभाग का मानना है। कि 500 रुपये किलो से महंगी मिठाइयां खरीदने वालों की आर्थिक स्थिति इतनी मजबूत अवश्य है कि वे आराम से टैक्स का बोझ बर्दाश्त कर सकते हैं। (साभार : दैनिक जागरण, 30.1.2015)

इस्पात उत्पादन में भारत का चौथा स्थान बरकरार

कुल 8.32 करोड़ टन सालाना इस्पात उत्पादन के साथ वर्ष 2014 में भारत लगातार पांचवें साल दुनिया का चौथा सबसे बड़ा इस्पात उत्पादक देश बना रहा।

विश्व इस्पात संगठन (डब्ल्यूएसए) के आंकड़ों के मुताबिक इस्पात उत्पादन के मामले में पिछले साल की अपेक्षा इस साल कोई बदलाव नहीं हुआ और चीन दुनिया का सर्वाधिक इस्पात उत्पादक देश बना रहा, जबकि जापान दूसरे और अमेरिका तीसरे स्थान पर रहा। इनकी सालाना उत्पादक क्षमता क्रमशः 82.2 करोड़ टन, 11.07 करोड़ टन और 8.83 करोड़ टन रही है। (साभार : हिन्दुस्तान, 28.1.2015)

GST से होगा सभी को फायदा, इस पर आम राय बनाई जायेगी- वित्त मंत्री

बहुप्रतिक्षित वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) लागू होने पर सभी राज्यों को पहले ही दिन से फायदा होगा। खास बात यह है कि जीएसटी के अमल में आने से आम लोगों और उद्योग जगत को भी फायदा होगा। वित मंत्री अरुण जेटली ने कहा कि जीएसटी लागू होने पर टैक्स पर टैक्स नहीं लगेगा। इससे उपभोक्ताओं को भी फायदा होगा। जीएसटी से उन राज्यों को अधिक फायदा होगा, जहाँ खपत अधिक है। सरकार ने 1 अप्रैल, 2016 से जीएसटी लागू करने का लक्ष्य रखा है।

वित्त मंत्री ने कहा कि जैसे-जैसे विकास दर गति पकड़ेगी, प्रत्येक राज्य के राजस्व में वृद्धि होगी व जीएसटी से पारदर्शिता आएगी। इसलिए इससे केन्द्र, राज्य,

उद्योग जगत, मैन्युफैक्चरिंग कंपनियों और आम लोग सभी फायदे में रहेंगे। सरकार जीएसटी विधेयक में सुधार के लिए सुझावों पर विचार करने को तैयार है। राज्यों की राजस्व हानि संबंधी आशंकाओं को दूर करने के लिए केन्द्र ने संविधान संशोधन विधेयक में प्रावधान किए हैं। सरकार सहकारी संघवाद की मजबूती के पक्ष में है। वह जीएसटी पर आम राय बनाने के लिए हर संभव कोशिश कर रही है।

(साभार : साप्ताहिक व्यापार समाचार, 11 जनवरी, 2015)

आयकरदाताओं से नरमी बरतें अधिकारी

बजट से पहले वित्त मंत्री अरुण जेटली ने अधिकारियों को कहा कि आयकरदाताओं से नरमी बरतें। साथ ही उन्होंने देश के सामने उत्पन्न अवसरों का लाभ उठाने के लिए नीतिगत स्थिरता, कर सुधार तथा त्वरित निर्णय की जरूरत पर बल दिया।

वित्त मंत्री उत्पाद एवं सीमा शुल्क बोर्ड (सीबीईसी) के अधिकारियों से आयकरदाताओं के साथ विनिम्रता का व्यवहार रखें लेकिन कर चोरी करने या चकमा देने वालों से सख्ती से पेश आने को कहा। सीमा शुल्क अधिकारियों के अलंकरण समारोह में उन्होंने कहा कि जिन पर देनदारी बनती है, उन्हें निश्चित रूप से उसका भुगतान करना चाहिए लेकिन कर चोरी करने वाले या कर देने से बचने वालों को ऐसे ही जाने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। वित्त मंत्री ने कहा कि घरेलू और विदेशी निवेशक भारत के प्रति काफी उत्साह दिखा रहे हैं और हम इस अवसर को खोना नहीं चाहते हैं क्योंकि सब कुछ अभी हमारे अनुकूल हो रहा है।

(साभार : हिन्दुस्तान, 28.1.2015)

खैनी-बीड़ी हुई सस्ती, विदेशी शराब महंगी

कैबिनेट का फैसला

राज्य में अब देश में निर्मित विदेशी शराब या विदेश से आयातित शराब मंहगी मिलेगी, जबकि खैनी-बीड़ी सस्ती हो गयी है। वाणिज्यकर विभाग अब इस श्रेणी की सभी शराब पर प्रत्येक बिक्री प्वाइंट या बिक्री के प्रत्येक चरण पर 50 प्रतिशत टैक्स लेगा। 845 रुपये प्रति केस या पेटी से अधिक मूल्य की विदेशी शराब पर यह नियम लागू होगा। इसे वाणिज्यकर विभाग ने 'मल्टी लेवी' वाले उत्पादों की श्रेणी में डाल दिया है। हालांकि, इससे विदेशी शराब के मूल्य में बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। अलबत्ता रिटेलरों को होने वाले प्रॉफिट मॉर्जिन में कमी आयेगी। दूसरी तरफ खैनी और बीड़ी पर लगनेवाले वाणिज्य-कर को 30 से घटा कर 20 प्रतिशत कर दिया गया है। कैबिनेट की बैठक में यह निर्णय लिया गया। बैठक के बाद पत्रकारों से बात करते हुए कैबिनेट सचिव बी प्रधान ने बताया कि इससे राजस्व में 300 करोड़ रुपये की बढ़ोतरी होने का अनुमान है। वाणिज्य-कर विभाग पहले भी विदेशी शराब पर 50 प्रतिशत ही टैक्स लेता था, लेकिन पहले यह टैक्स उत्पादन करनेवाली कंपनी और बिहार राज्य बिवरेज कॉरपोरेशन के बीच ही लिया जाता था। इसके बाद होलसेलर और रिटेलर जो शराब बेचते थे, उनका मुनाफा सीधे उनके पास ही रह जाता था। लेकिन, अब हर चरण पर यानी कंपनी, होलसेलर और रिटेलर तीनों स्तर पर होनेवाले मुनाफे में वाणिज्य-कर विभाग 50 फीसदी टैक्स लेगा। इस वजह से ग्राहकों को बहुत फर्क नहीं पड़ेगा।

(साभार : प्रभात खबर, 21.1.2015)

गोदाम बनाने के लिए सरकार देगी अनुदान

राज्य सरकार ने सूबे में अन्न भंडारण की समस्या को देखते हुए प्रदेशवासियों के लिए गोदाम की स्थापना करने को लेकर नयी योजना की शुरूआत की है। उद्योग विभाग द्वारा शुरू की गई इस योजना को ड्राई वेयर हाउस स्कीम नाम दिया गया है। सरकार ने कहा कि गोदाम खोलिए और सब्सिडी पाइये।

उद्योग विभाग के मंत्री भीम सिंह ने अपने विभागीय कार्यालय में आयोजित संवाददाता सम्मेलन में कहा कि सूबे में पहले से अन्न भंडारण के लिए कोल्ड स्टोरेज की व्यवस्था है। राज्य सरकार अब गोदाम के रूप में ड्राई वेयर हाउस की स्थापना के लिए आवेदन आमंत्रित करने जा रही है। कोई भी व्यक्ति भूमि की व्यवस्था कर उस पर ड्राई वेयर हाउस (गोदाम) की स्थापना कर सकता है। राज्य सरकार इस कार्य के लिए 25 फीसद सब्सिडी देगी। सरकार ने अधिकतम 5 करोड़ रुपये तक सब्सिडी देने का निर्णय लिया है। कोई यदि चाहे तो 20 करोड़ के ड्राई वेयर हाउस की स्थापना कर उस पर 5 करोड़ रुपये सब्सिडी प्राप्त कर सकता है। श्री सिंह ने कहा कि मुख्यत: धान और गेहूँ भंडारण के लिए यह योजना जारी की गई है। एक अनुमान के अनुसार 3300 मीट्रिक टन अनाज के भंडारण के लिए ड्राई वेयर हाउस के निर्माण पर चार करोड़ की लागत आएगी। लोगों की सुविधा के लिए कम क्षमता वाले गोदाम की स्थापना का भी प्रावधान है। योजना का लाभ लेने के लिए पहले आवेदन देना होगा। फिर उसे निवेश प्रोत्साहन बोर्ड से मंजूरी लेनी होती। इसके बाद सब्सिडी की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। उद्योग मंत्री ने स्पष्ट किया कि सरकार इस योजना के लिए जमीन की व्यवस्था नहीं करेगी। जमीन का इंतजाम खुद करना होगा।

(साभार : राष्ट्रीय सहारा, 21.1.2015)

GOVT HINTS AT TAX ON ONLINE SHOPPING

"The e-commerce market in the country is estimated at around Rs. 10,000 crore. So, we guess that the market in Bihar would be between Rs. 500 crore and Rs 1,000 crore, " said former President and Member of Bihar Chamber of Commerce and Industries P. K. Agarwal.

(Source : The Telegraph , 31.1.2015)

अस्थाई विद्युत कनेक्शन लेना अब हो गया महंगा

घर में शादी या कोई अन्य कार्यक्रम है तो अस्थाई बिजली कनेक्शन लेने को ज्यादा पैसा देने को तैयार हो जाइए। कनेक्शन के लिए आपको अब मोटी रकम खर्च करनी पड़ेगी। साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड ने अस्थाई बिजली कनेक्शन महंगा कर दिया है। कंपनी की ओर से एक वर्ष पहले जारी आदेश का पालन कराने को पुन: निर्देश जारी किया गया है। पटना विद्युत आपूर्ति प्रतिष्ठान ने इसे लागू कर दिया है। वैवाहिक कार्य के लिए अब कम से कम 10 किलोवाट का लोड 48 घंटे के लिए लेने पर 4656 रुपये देने होंगे। वैवाहिक कार्यक्रम के लिए न्यूनतम 10 किलोवाट लोड लेना अनिवार्य है।

200 रुपये लगेगा आवेदन शुल्क : अस्थाई बिजली कनेक्शन के लिए छह विकल्प दिए गए हैं। इसके तहत वैवाहिक, धार्मिक, सामाजिक, शैक्षणिक, राजनैतिक व अन्य कार्यक्रमों के लिए कनेक्शन लिए जा सकते हैं। आवेदन शुल्क 200 रुपये जबकि विद्युत विच्छेद शुल्क 400 रुपये निर्धारित है। 50 रुपये मीटर शुल्क भी देना है। सबके लिए न्यूनतम लोड व राशि अलग-अलग है।

अस्थाई कनेक्शन की नई दरें

1.	वैवाहिक कार्य	10 किलोवाट	48 घंटे को 4656 रु.
2.	धार्मिक कार्य	7.5 किलोवाट	24 घंटे को 5924 रु.
3.	सामजिक कार्य	5 किलोवाट	24 घंटे को 4856 रु.
4.	शैक्षणिक कार्य	3 किलोवाट	24 घंटे को 4010 रु.
5.	राजनीतिक कार्य	10 किलोवाट	24 घंटे को 7008 रु.
6.	अन्य किसी कार्य	10 किलोवाट	04 घंटे को 5508 रु.

(साभार : दैनिक जागरण, 30.1.2015)

बिजली विभाग ने ब्लैकलिस्टेड बैंक में रखा पैसा

सरकार की रोक के बाद भी बिजली विभाग ने ब्लैक लिस्टेड बैंक में सात हजार करोड़ की राशि जमा कर दी। करीब दो साल तक यह राशि केनरा बैंक के खाते में जमा थी। समीक्षा के दौरान यह मामला सामने आने पर वित्त विभाग ने बिजली विभाग से जवाब माँगा है।

बैंकों के मूल्यांकन का आधार : बैंकों को दो श्रेणियों में बांट कर कार्यों का मूल्यांकन किया जाता है। श्रेणी-1 में वैसे बैंकों को रखा जाता है। जिनकी शाखाएं शहरी और अर्द्ध शहरी क्षेत्र में हैं। श्रेणी-2 में वैसे बैंक आते हैं जिनकी शाखाएं शहरी, अर्द्ध शहरी और ग्रामीण तीनों क्षेत्रों में मैजूद है। श्रेणी-1 के बैंकों को तीन मानकों पर तौला जाता है। इसमें सीडी रेशियो, प्राथमिक प्रक्षेत्र में ऋण देने के लक्ष्य के अनुसार उपलब्धि और अर्द्ध शहरी क्षेत्रों में ऋण प्रवाह। इसी तरह श्रेणी-2 के बैंको को भी तीन मानक सीडी रेशियो, प्राथमिक क्षेत्र में ऋण देने की स्थिति और कृषि-साख लक्ष्य की प्राप्ति शामिल है। दोनों श्रेणी के बैंकों को 100 में न्यूनतम 33 अंक हासिल करना होता है। जिन बैंकों को इससे कम अंक प्राप्त होते हैं, उन्हें ब्लैक लिमिटेड कर दिया जाता है।

इस बार ब्लैकलिस्टेड हुए 17 बैंक : आंध्रा बैंक, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, विजया बैंक, स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर जयपुर, फेडरल बैंक, जम्मू एवं कश्मीर बैंक, साउथ इंडियन बैंक, वैश्य बैंक, कर्नाटक बैंक, बम्बे एम को- ऑपरेटिव बैंक, टीयूसीबी, यस बैंक, देना बैंक, इंडियन ओवरसीज बैंक, ओरियंटल बैंक ऑफ कॉमर्स, सिंडिकेट बैंक व यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया।

वर्तमान लिस्ट में बैंक का नाम नहीं : हालांकि वर्तमान में वित्त विभाग ने

जिन 17 ब्लैकलिस्टेड बैंकों की सूची जारी की है, उनमें केनरा बैंक का नाम नहीं है। प्रदर्शन सुधरने पर इसका नाम हटा दिया गया है। पिछली सूची (जून, 2014) में इसका नाम 16 ब्लैकलिस्टेड बैंकों की सूची में था। इसका नाम श्रेणी-2 में पहले नंबर पर था। (साभार : प्रभात खबर, 30.1.2015)

कर्ज लेते वक्त नहीं देना होगा 'नो ड्यूज सर्टिफिकेट'

• ग्रामीण व अर्द्ध शहरी क्षेत्र के लोगों को नहीं देना होगा यह प्रमाणपत्र • रिजर्व बैंक ने कहा, पुराने कर्ज की जानकारी हासिल करने के लिए दूसरे तरीके अपनाएं बैंक।

आम लोगों के लिए बैंकों से कर्ज लेना आसान बनाते हुए रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने ग्रामीण तथा अर्द्ध शहरी क्षेत्रों में नो ड्यूज सर्टिफिकेट की जरूरत को समाप्त करने का निर्णय लिया है।

केंद्रीय बैंक ने जारी एक अधिसूचना में कहा कि अब बैंक बिना नो ड्यूज सर्टिफिकेट के कर्ज देंगे। उसने बताया कि उसके पास शिकायतें आ रही थीं कि लोगों को यह प्रमाणपत्र हासिल करने में खासी परेशानी का सामना करना पड़ता है। विशेषकर ग्रामीण तथा अर्द्ध शहरी इलाकों के लोगों को। इन शिकायतों के मद्देनजर उसने यह फैसला किया है। आरबीआई के अनुसार ग्रामीण तथा अर्द्ध शहरी क्षेत्रों में किसी व्यक्ति, स्वयं सहायता समूह या ज्वाइंट लायबिलिटि समूह द्वारा लिए जाने वाले कर्ज के लिए नो ड्यूज सर्टिफिकेट की जरूरत समाप्त की गई है। अन्य आवेदकों के लिए नियम पूर्ववत हैं। (साभार : राष्ट्रीय सहारा, 29.1.2015)

एसबीआइ की शाखाओं में बैठेंगे ग्राहक मित्र

ग्राहकों की मदद के लिए भारतीय स्टेट बैंक की शाखाओं में ग्राहक मित्र रहेंगे। फरवरी के पहले सप्ताह से इस सेवा की शुरूआत होगी। जिन शाखाओं से इसकी शुरुआत होगी, उनमें मीठापुर, एक्जिबिशन रोड, मौर्या लोक कॉम्प्लेक्स, जेसी रोड, दानापुर, बोरिंग रोड, पाटलिपुत्रा, शेखपुरा राजाबाजार, श्रीकृष्णापुरी पीबीबी एवं आरा की एक शाखा शामिल हैं।

इसके बाद इसका विस्तार किया जायेगा। बिहार और झारखंड के 40 शाखाओं में ये ग्राहक मित्र बैठेंगे। आपको कौन-सा काम किस काउंटर पर कराना है, संबंधित काम के लिए कौन-से कागजात लगेंगे, यह सारी जानकारी ग्राहक मित्र देंगे। (साभार : प्रभात खबर, 2.2.2015)

एसबीआइ में मशीन से जमा होंगे चेक

चेक डालते ही ग्राहकों को मिलेगी फोटो कॉपी

भारतीय स्टेट बैंक की ओर से पटना में इलेक्ट्रॉनिक चेक डिपॉजिट मशीन लगाने को शुरूआत कर दी गई है। अब ग्राहकों को चेक जमा करने के लिए न तो कतार में खड़ा होना पड़ेगा, न ही इसके गुम होने का डर रहेगा। पटना में आठ शाखाओं से इसकी शुरुआत हुई है।

बदली व्यवस्था : पहले ग्राहक चेक को शाखाओं में लगे चेक बॉक्स में डाल देते थे। अब इस विधि की जगह इलेक्ट्रॉनिक चेक डिपॉजिट मशीनों का प्रयोग शुरू हुआ है। ग्राहक चेक बॉक्स की जगह इस मशीन में अपना चेक डालेंगे।

क्या होगा फायदा : चेक डालते ही ग्राहकों को इसकी एक छाया प्रति मिल जाएगी। इस पर तिथि और समय तक अंकित रहेगा। चेक गुम होने, कई दिनों तक पड़े रहने की समस्या खत्म होगी। समय से क्लीयरेंस होगा।

ध्यान रखें इन बातों को : • स्थानीय और आउट स्टेशन चेक के लिए अलग-अलग पर्ची भरें। • लाल बत्ती जलने पर चेक या जमा पर्ची मशीन में न डालें। • हरी बत्ती जलने पर ही इस मशीन का उपयोग करें। • एक समय में सिर्फ एक चेक ही डालें। • मशीन में जमा पर्ची या चेक डालें तो रसीद प्राप्त करना न भूलें। • मशीन में चेक या जमा पर्ची डालने के बाद उसे वापस नहीं खींचे।

उपयोग से पहले : चेक के साथ ग्राहक जमा पर्ची भी भर सकते हैं। लेकिन चेक के पीछे एकाउंट नंबर और मोबाइल नंबर भी लिखना होगा। (साभार : दैनिक जागरण, 29.1.2015)

मोबाइल वॉलेट के साथ रहें बेफिक्र

मोबाइल वॉलेट बेशक भारत में एक नई पेशकश हो लेकिन यह भारतीयों का भरोसा जीतने में कामयाब होती दिख रही है। लोग अब क्रेडिट कार्ड कंपनियों की तुलना में डिजिटल भुगतान सेवा पर ज्यादा भरोसा जता रहे हैं। वर्तमान में मोबाइल वॉलेट क्षेत्र में करीब 10 से 12 कंपनियाँ सक्रिय हैं। इनमें से नोएडा की पेटीएम से करीब 2 करोड़ सक्रिय यूजर जुड़े हुए हैं। यह आंकड़ा देश में कुल क्रेडिट कार्ड संख्या से वास्तव में अधिक है।

• क्रेडिट कार्ड के साथ-साथ मोबाइल वॉलेट की बढ़ी रही है मांग • दूसरे और तीसरे दर्जे के शहरों में मोबाइल वॉलेट की अब बढ़ रही है लोकप्रियता • सेमी क्लोज मॉडल पर काम करता है यह मोबाइल वॉलेट • निजी ऑपरेटर इसके माध्यम से दे रहे हैं बैंकिंग सुविधाएं। (साभार : बिज़नेस स्टैंडर्ड, 30.1.2015)

सुप्रीम कोर्ट के चैक बाउन्स संबंधी दो महत्वपूर्ण फैसले

चैक बाऊन्स होने पर पूर्व निदेशक जिम्मेदार नहीं

एक ऐसा व्यक्ति जो न तो कंपनी का निदेशक हो और न ही बाउंस होने वाले किन्ही चेक के जारी होते वक्त उसका कंपनी के रोजमर्रा के कामकाज से कोई लेनादेना हो तो उस पर निगोशिएबल इंस्ट्रुमेंट अधिनियम के तहत कोई मामला नहीं चलाया जा सकता है।

सर्वोच्च न्यायालय ने यह फैसला गत सप्ताह पूजा रविंदर बनाम महाराष्ट्र राज्य के मामले में दिया। पूजा रविंदर एक गृहिणी है और वह पहले एक कंपनी की गैर कार्यकारी निदेशक थीं। बहरहाल जब चेक बाउंस हुए तो जिस वित्तीय कंपनी के नाम से चेक जारी किए गए थे उसने उनके खिलाफ शिकायत की। पूजा ने बंबई उच्च न्यायालय की शरण ली लेकिन उनकी याचिका खारिज कर दी गई। अपील करने पर सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि उन पर मुकदमा चलाना वास्तव में न्याय प्रक्रिया का दुरुपयोग होगा। इतना कहकर शिकायत खारिज कर दी गई।

अन्य निर्णय

एक अन्य मामले में अदालत ने कहा कि चैक बाउंस से जुड़े धोखाधड़ी के आपराधिक मामलों को दीवानी विवाद नहीं माना जा सकता है और ऐसे मामले चलने ही चाहिए।

के. के. सिंघल और स्टील स्ट्रिप्स लिमिटेड के इस मामले में कंपनी को 33 चेक जारी किए गए थे जो बाउंस हो गए। बाद में दोनों पक्षों के बीच कारोबारी सौदा हो गया और दावेदार कंपनी से कहा गया कि वह मामले वापस ले। हालांकि कंपनी ने एक को छोड़कर सारे मामले वापस ले लिए लेकिन तब भी उसे भुगतान नहीं मिल सका।

ऐसे में उसने आपराधिक वाद दायर कर दिया। सिंघल ने पजाब एण्ड हरियाणा उच्च न्यायालय का रुख किया ताकि शिकायतों को खारिज करवाया जा सके । लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इस पर उन्होंने इस दलील के साथ सर्वोच्च न्यायालय का रुख किया कि इस मामले में अनुबंध का पालन न होने का दीवानी वाद बनता है। ऊपरी अदालत ने कहा इस स्तर पर मामले का फैसला नहीं हो सकता। उसने निचली अदालत से कहा कि वह सुनवाई जारी रखे। (साभार : व्यापार समाचार, 11.1.2015)

व्यावसायिक वाहनों के बकाये कर पर ब्याज माफ : रमई

परिवहन मंत्री रमई राम ने बैठक कर विभागीय कार्यों की समीक्षा की। इस दौरान बस किराया, हाई सिक्यूरिटी नंबर प्लेट, बसों की खरीदारी, बस पड़ाव को हाइटेक बनाने एवं स्मार्ट ड्राइविंग लाइसेंस आदि विषयों पर चर्चा हुई। मंत्री ने कहा कि व्यावसायिक वाहनों पर जो कर बकाया था उसमें ब्याज को माफ कर दिया गया है। इसका लाभ वाहन मालिक उठा सकते हैं। मंत्री ने कहा कि बस किराया को कम करने का निर्देश दिया गया है। सभी जिलाधिकारी, क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार व डीटीओ को इस संबंध में पत्र लिखा गया है। 21 दिनों के अंदर सभी जिलों में हाई सिक्यूरिटी नंबर प्लेट लगना शुरू हो जाएगा। संबंधित कंपनी को सभी जिलों में मशीन स्थापित करने का निर्देश दिया गया है। (साभार : हिन्दुस्तान, 30.1.2015)

राजधानी के चारों एंट्री प्वाइंट पर वाहनों की ओवरलोडिंग की जांच

अब ओवरलोड वाहन गांधी सेतु पार नहीं कर सकेंगे। पटना शहर के चार एंट्री प्वाइंटर पर वेईंग मशीनें लगाई जा रही हैं। ट्रांसपोर्ट नगर, बिहटा और फतुहा में मशीन लग चुकी है। मसौढ़ी में जमीन को लेकर पेच फंसा है। जमीन मिलते ही यहां भी लग जाएगी। 15 फरवरी के पहले ये मशीनें चालू हो जाएंगी।

अभी ऐसे होती है जांच : अभी वाहनों के आकार के आधार पर लोडिंग का मानक तय है। मानक से अधिक भार होने पर सामान की रसीद देखकर जुर्माना लगाया जाता है। कभी-कभार इससे सही जांच नहीं हो पाती। वाहन को वहां से धर्मकांटा तक ले जाना भी मुश्किल होता है।

अब ऐसे होगी : मशीन लग जाने के बाद वाहनों की सही जांच हो जाएगी। जैसे ही गाड़ी मशीन पर से गुजरेगी, वह सही भार बता देगी। ऐसे में अधिक भार होने पर जुर्माना लगेगा।

जाम से मिलेगी निजात : गांधी सेतु के जर्जर होने की मुख्य वजहों में एक ओवरलोडिंग भी है। कई बार तो बीच पुल पर ट्रक खराब हो जाते हैं। जिससे जाम लगा रहता है। अब ओवरलोड ट्रकों को पुल पार नहीं करने दिया जाएगा। ट्रैफिक एसपी प्राणतोष कुमार दास ने कहा कि इस सिस्टम से काफी सहूलियत होगी।

(साभार : दैनिक भास्कर, 25.1.2015)

टोल प्लाजा बनने के बावजूद फिलहाल बेकार

पैसा नहीं होने से अटका है काम : पड़ताल के क्रम में सामने आया कि प्रोजेक्ट के समय पर पूरा नहीं होने की वजह से बैंकों से फंड मिलने में परेशानी आई। इसकी वजह से प्रोजेक्ट के तहत ज्यादातर काम पूरा होने के बावजूद सिपारा के पास आरओबी और जीरो माइल के पास फ्लाई ओवर का काम अटका पड़ा है। इसके अलावा फंड की वजह से ही मीठापुर से जीरो माइल तक बाइपास के दोनों तरफ सर्विस लेन और नाला निर्माण का मामला अटका हुआ है। निर्माण के लिए करीब 40 करोड़ रुपए पथ निर्माण की ओर से दिया जाना था। लेकिन अभी तक छह करोड़ रुपए ही दिए गए हैं। विभाग का तर्क है कि एनओसी नहीं देने की वजह से फंड नहीं दिया जा रहा है। सर्विस लेन नहीं बनने की वजह से ही 24 करोड़ की लागत से बने छह अंडरपास का भी इस्तेमाल नहीं हो पा रहा है। उपयोग नहीं होने की वजह से ज्यादातर में मिट्टी भर गई है।

यहाँ जाएंगी गाड़ियां : पटना से गाड़ियाँ बाढ़, बख्तियारपुर, मोकामा होते हुए गंगा पार कर बेगूसराय, खगड़िया, कटिहार, पूर्णिया, किशनगंज की तरफ जाती हैं। गंगा के दक्षिण बड़हिया, मुंगेर, भागलपुर होते हुए झारखंड की ओर जाती है।

(साभार : दैनिक भास्कर, 29.1.2015)

लक्ष्य के अनुरूप कम रहा राजस्व संग्रहण

परिवहन विभाग में क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार (आरटीए) व चेकपोस्ट ने पिछले साल की अपेक्षा चालू साल में अप्रैल से दिसम्बर तक लक्ष्य से कम राजस्व संग्रहण किया। पिछले साल अप्रैल से दिसम्बर माह तक आरटीए ने लक्ष्य 909 लाख की अपेक्षा 1031 लाख राजस्व संग्रहण किया। इस साल उक्त अवधि में आरटीए ने लक्ष्य 1178 लाख से कम 997 लाख राजस्व संग्रहण किया।

दिसम्बर माह में आरटीए से राजस्व संग्रहण

स्थान	राशि (लाख)
आरटीए, छपरा	16.94
आरटीए, सहरसा	4.19
आरटीए, दरभंगा	25.41
आरटीए, पूर्णिया	8.00
आरटीए, गया	8.31
आरटीए, भागलपुर	5.52
आरटीए, मुजफ्फरपुर	39.41
आरटीए, पटना	38.25

चेकपोस्ट से राजस्व संग्रहण

मोहनिया, भभुआ	257.35
डोभी, गया	162.02
डगरूआ, पूर्णिया	108.35
चैनपट्टी, गोपालगंज	152.82
रजौली, नवादा	53.91
बक्सर	10.26

• विभाग को चेकपोस्ट पिछले साल अप्रैल से दिसम्बर तक लक्ष्य 4947 लाख से अधिक 5309 लाख राजस्व मिला • दिसम्बर 2014 में आरटीए ने शत प्रतिशत लक्ष्य 146 लाख राजस्व संग्रहण किया। • इस साल उक्त अवधि में चेकपोस्ट से लक्ष्य 6688 लाख से कम 6258 लाख राजस्व संग्रहण • वहीं चेकपोस्ट से लक्ष्य 824 लाख से कम 744 लाख 71 हजार राजस्व संग्रहण हुआ।

(साभार : प्रभात खबर, 30.1.2015)

दीघा से आर ब्लॉक तक सड़क का रास्ता साफ

दीघा से आर ब्लॉक तक बिछी रेलवे लाइन की जगह जल्द ही पक्की सड़क बनेगी। रेलवे अपनी जमीन राज्य सरकार को बेचेगी, जिसे खरीदने के लिए सरकार तैयार हो गई है।

जिला प्रशासन ने जमीन का सर्वे कर एमवीआर के आधार पर मूल्य तय किया है। दीघा से आर ब्लॉक तक कुल 71.25 एकड़ जमीन है, जिसकी कीमत आठ अरब 96 करोड़ 29 लाख 67 हजार 10 रुपए लगाई गई है। यह प्रस्ताव रेलवे को भेज दिया गया है। सरकार इसी जमीन को खरीदकर सड़क बनाएगी। एडीएम नीलकमल ने बताया कि दीघा से आर ब्लॉक तक रेलवे को जमीन का संयुक्त सर्वे करने के बाद रेलवे को प्रस्ताव भेज दिया गया है। यह प्रस्ताव सड़क सचिव को भी भेजा गया है। रेलवे सूत्रों के अनुसार रेलवे बोर्ड में इस बाबत निर्णय लिए जाने के बाद राज्य सरकार को जमीन सौंप दी जाएगी।

जाम से मिलेगी निजात : दीघा से आर ब्लॉक तक सुबह व शाम, दो बार पैसेंजर ट्रेन चलती है। इस कारण आर ब्लॉक व बेली रोड में रेलवे क्रॉसिंग पर ट्रैफिक जाम लगता है। इस कारण पीक आवर में लोगों को काफी परेशानी होती है। रेलवे ट्रैक हटने से इस समस्या का समाधान हो जाएगा। **(साभार : हिन्दुस्तान, 2.2.2015)**

दीदारगंज, फुलवारीशरीफ व फतुहा भी मेट्रो से जुड़ेंगे

मेट्रो और सड़कों को चौड़ा करने की योजनाएं जमीन पर उतरी तो आने वाले कुछ वर्षों में पटना में यातायात की तस्वीर बदल जाएगी। न केवल रोज-रोज के जाम से मुक्ति मिलेगी, बल्कि पटना के विस्तार के दरवाजे भी खुलेंगे। राजधानी के बाहरी इलाकों में आवागमन आसान हो जाएगा।

पहले चरण में पटना के दो कॉरिडोर में मेट्रो रेल चलाने के साथ ही राइट्स ने दीदारगंज, दीघा और फुलवारीशरीफ को भी इससे जोड़ने की योजना बनाई है। ये दोनों कॉरिडोर दूसरे और तीसरे चरण में अमल में आएंगे। इनके वर्ष 2031 तक पूरा होने की उम्मीद है। इसके बाद फतुहा और दानापुर से आगे के इलाके भी मेट्रो प्रोजेक्ट से जुड़ेंगे।

1. फेज-2 में मीठापुर बाईपास चौक से 13 किमी लंबा एक कॉरिडोर दीदारगंज तक जाएगा। इसी कॉरिडोर को बाद में फतुहा तक विस्तारित करने की योजना है।

2. इसी फेज में 5.50 किमी का दीघा लिंक कॉरिडोर बनेगा, जो दीघाघाट से शुरू होकर विकास भवन (हाईकोर्ट) तक पहुंचेगा। इस कॉरिडोर पर 1.33 लाख लोगों के यात्रा करने की संभावना है।

3. तीसरे फेज में मीठापुर बाईपास चौक से फुलवारीशरीफ (पटना एम्स) तक कॉरिडोर बनेगा। राइट्स ने 11 किलोमीटर के इस रुट के लिए राइडरशिप का जो आकलन किया है वह 1.57 लाख है।

नई सड़कें : • गुरु का बाग पथ (दीगरंज में) • हरमंदिर साहिब गुरुद्वारा वाया जहाजी कोठी से एनएच- 30 बाईपास • एनएच -30 से जकरियापुर पथ

(साभार : हिन्दुस्तान, 31.1.2015)

इंदौर के लिए मिलेगी ट्रेन

दानापुर मंडल को नये रेल बजट में एक नयी ट्रेन मिल सकती है। इसके अलावा कुछ ट्रेनों के फेरे भी बढ़ेंगे। रेलवे बोर्ड ने पूर्व मध्य रेल और लोकसभा अध्यक्ष सुमित्रा महाजन की पहल पर सैद्धांतिक मंजूरी दे दी है। रेलवे अधिकारियों का कहना है कि लोकसभा अध्यक्ष सुमित्रा महाजन पटना को इंदौर से जोड़ने की योजनाओं पर रेलवे मंत्रालय व रेलवे बोर्ड से बात कर रही हैं। इसके अलावा मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र को पटना से जोड़ने की अनेक योजनाएं दी हैं। समीक्षा के बाद रेलवे ने एक नयी ट्रेन चलाने व कुछ ट्रेनों का फेरा बढ़ाने का निर्णय लिया है। पूर्व मध्य रेल के अधिकारियों की माने, तो इंदौर के लिए सही मायने में ट्रेन नहीं होने से यात्रियों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है।

हरिद्वार के लिए साप्ताहिक ट्रेन : सूत्रों की माने, तो हरिद्वार के लिए भी मुगलसराय-लखनऊ स्टेशन के रास्ते एक साप्ताहिक ट्रेन चलाने की घोषणा करने की योजना है। रेल बजट में इन ट्रेनों को चलाने के लिए हरी झंडी मिलने की संभावना है। वर्तमान में पटना एनार्कुलम और पटना इंदौर ट्रेन सप्ताह में दो दिन ही चलती है।

दरभंगा-अहमदाबाद नयी जनसाधारण शुरू : अहमदाबाद से दरभंगा के बीच पूर्णत: अनारक्षित एक नयी जनसाधारण एक्सप्रेस (साप्ताहिक) का परिचालन शुरू किया गया है। शनिवार को यह ट्रेन अहमदाबाद से सुबह 10.22 बजे खुली जो सोमवार को सुबह तीन बजे दरभंगा पहुंचेगी। ट्रेन का नियमित परिचालन दरभंगा से 4 व अहमदाबाद से 6 फरवरी को किया जायेगा। दरभंगा से यह ट्रेन हर बुधवार व अहमदाबाद से प्रत्येक शुक्रवार को चलेगी। यह जनसाधारण दरभंगा से प्रत्येक बुधवार को शाम पाँच बजे खुल कर शुक्रवार को सुबह 09.20 बजे अहमदाबाद पहुंचेगी। वापसी में, 15560 अहमदाबाद से प्रत्येक शुक्रवार को शाम 07.25 बजे खुल कर रविवार की दोपहर 12.05 बजे दरभंगा पहुंचेगी।

"जोन ने कई प्रस्ताव भेजे हैं। एक माह पहले अधिकारी स्तर पर बैठक भी हुई थी। अगर इंदौर के लिए एक और ट्रेन मिल जाती है, तो यात्रियों को काफी राहत मिलेगी।" **अरविंद कुमार रजक,** मुख्य जनसंपर्क अधिकारी, पूर्व मध्य रेल

(साभार : प्रभात खबर, 1.2.2015)

दुकानें नहीं हटेंगी पर टैक्स भरना होगा

पटना हाईकोर्ट ने अतिक्रमण कर अवैध रूप से लगाए गए कबाड़ी, कोयला एवं अन्य दुकानों को हटाने के लिए जारी आम सूचना की कार्रवाई को गैर कानूनी बताया और दुकानदारों को नहीं हटाने का आदेश दिया है। साथ ही सभी दुकानदारों से निगम टैक्स जमा करने का आदेश दिया है। अदालत ने इसके लिए तीन माह का समय दिया है। ये दुकान जीपीओ गोलंकर से स्टेशन गोलंबर तक एवं निगम कार्यालय से हुंकार प्लेस अशोक सिनेमा तथा स्टेशन बुद्धा पार्क से अशोक सिनेमा और गोल मार्केट तक हैं। (साभार : हिन्दुस्तान, 21.1.2015)

कलेक्ट्रेट में लगेगी फ्रैंकिंग मशीन, रुकेगा फर्जीवाड़ा

फर्जी स्टांप को रोकने के लिए कलेक्ट्रेट में फ्रैंकिंग मशीन लगाई जाएगी। जिला अवर निबंधक प्रशांत कुमार ने बताया कि कलेक्ट्रेट परिसर में रजिस्ट्री कार्यालय के पास मशीन लगेगी। (साभार : हिन्दुस्तान, 21.1.2015)

डेढ़ माह बीता, बिल्डिंग बॉयलाज गजट के लिए आंदोलन करेंगे बिल्डर

दो दिसम्बर 2014 को कैबिनेट से मिली थी मंजूरी

बिल्डिंग निर्माण के लिए शहरवासियों को अभी और इंतजार करना होगा। इंतजार की अवधि क्या होगी, यह बताने में विभाग भी असमर्थ है। कारण, अब तक नए बिल्डिंग बायलॉज को लागू करने के लिए सरकार के स्तर से गजट नहीं निकला है। जब तक गजट प्रकाशित नहीं होगा, नक्शा बनाने की प्रक्रिया शुरू नहीं होगी। जबकि, नए बिल्डिंग बायलॉज को दो दिसम्बर को ही कैबिनेट से मंजूरी मिल चुकी है। इधर, नगर विकास एवं आवास मंत्री नक्शा पास कराने के लिए गजट को जरूरी नहीं मानते। विभाग के सचिव कहते हैं- गजट में कोई देर नहीं है।

(साभार : दैनिक भास्कर, 29.1.2015)

पाटलिपुत्र, मैनपुरा-दीघा में बढ़ेंगी सुविधाएं

पाटलिपुत्र, मैनपुरा और दीघा अब नगर निगम क्षेत्र में आ गया है। यहाँ की करीब 60 हजार आबादी को निगम की सभी सेवाएं मिलेंगी और इसके बदले में निगम टैक्स की वसूली भी करेगा।

पहले ये इलाके नहीं थे निगम के अधीन : मैनपुरा उत्तरी पंचायत, मैनपुरा पश्चिम पंचायत, मैनपुरा पूर्वी पंचायत, दीघा पूर्वी एवं दीघा पश्चिमी पंचायत तथा पाटलीपुत्र कॉलोनी पटना नगर निगम क्षेत्र में नहीं था। जबकि ये सभी क्षेत्र तीन तरफ से पटना नगर निगम क्षेत्र से घिरे हैं तथा एक और गंगा नदी बहती है। इन क्षेत्रों के वासियों द्वारा निगम की मूलभूत सुविधाओं का उपभोग किया जाता रहा है। जैसे नेहरूनगर नाला, कुर्जी नाला जिसकी सफाई निगम द्वारा की जाती है। अब इन क्षेत्र के लोगों को निगम की सभी सुविधाए मिलेंगी। (साभार : दैनिक भास्कर, 29.1.2015)

तैयार फ्लैट खरीदने पर टैक्स छूट ज्यादा मिलेगी

हर किसी का सपना होता है कि अपना एक घर या मकान हो। सपने को पूरा करने के लिए लोग अपनी गाढ़ी कमाई को इसमें लगाते हैं। कुछ लोग कम कीमत की वजह से निर्माणाधीन प्रॉपटी या फ्लैट में पैसा निवेश करते हैं तो कुछ बने-बनाए यानी तैयार फ्लैट या मकान में। लेकिन टैक्स (कर) को ध्यान में रखते हुए अगर हम देखें तो तैयार फ्लैट खरीदना ज्यादा बेहतर है। दर असल इसमें आपको निर्माणाधीन फ्लैट की तुलना में अधिक कर छूट प्राप्त होती है। (विस्तृत : हिन्दुस्तान, 12.1.2015)

सरकारी कार्यालयों में शपथ पत्र की अनिवार्यता अब होगी समाप्त

सरकारी कामकाज में अब शपथ पत्र लेने की अनिवार्यता समाप्त करने का सरकार ने सैद्धांतिक रुप से फैसला ले लिया है। अब इस नयी व्यवस्था को लागू करने की तैयारी चल रही है। नयी व्यवस्था में नोटरी एफेडेविट या सेकेंड क्लास मजिस्ट्रेट से एफेडेबिट के लिए जनता को परेशान होने की नौबत नहीं आयेगी। कैबिनेट से मंजूरी मिलते ही 38 सेवाओं में शपथ पत्र की अनिवार्यता समाप्त हो जायेगी। फिलहाल सरकार ने सभी विभागों से एक सप्ताह के अंदर यह प्रस्ताव देने को कहा है कि वह केंद्र द्वारा पंजाब के पैटर्न पर अधिसूचित व्यवस्था के अनुरूप किन-किन सेवाओं में शपथ पत्र लिया जाना लागू रखना चाहती है और किन सेवाओं में नहीं।

सरकार इस मुद्दे पर सहमत है कि अब सेवाओं के लिए निर्गत प्रमाण पत्रों की सत्यता की जांच के लिए कई अन्य आधुनिक विकल्प उपलब्ध है। शपथ पत्र की परंपरागत व्यवस्था अधिकांश मामले में महत्वहीन हो चुका है। वर्तमान व्यवस्था में नागरिकों को लालफीताशाही के चलते कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। इससे जनता को निजात दिलाना आवश्यक है। शपथ पत्र की व्यवस्था को पंजाब के अलावा मेघालय, गोवा, दिल्ली, दादर नगर हवेली, दमन और दिउ, हिमाचल प्रदेश अंडमान एंड निकोबार समूह, मिजोरम, मध्य प्रदेश, हरियाणा और कर्नाटक ने सेल्फ अटेस्टेशन की नयी व्यवस्था को लागू कर दिया है। बिहार के परिपेक्ष्य में भी इस नयी व्यवस्था को लागू करना आवश्यक है।

मुख्य सचिव अंजनी कुमार सिंह ने 10 दिसम्बर की बैठक में सभी विभागीय प्रमुखों को शपथ पत्र की अनिवार्यता को समाप्त कर सेल्फ अटेस्टेशन की व्यवस्था लागू कर करने को कहा है। सरकार इसी परिपेक्ष्य में शपथ पत्र की अनिवार्यता को समाप्त कर नयी व्यवस्था लागू करना चाहती है। जिन सेवाओं में नयी व्यवस्था को लागू करना प्रस्तावित है उनमें उत्तराधिकारी प्रमाण पत्र, आश्रित प्रमांण पत्र, स्वतंत्रता सेनानी प्रमाण पत्र, प्रति हस्ताक्षरित, वैवाहिक स्थल, वीडियोग्राफी कार्य, प्रिंटिंग प्रेस व समाचार पत्र शीर्षक, मीडिया प्रतिनिधि के आचरण प्रमाण, नंबरदारी प्रमाण पत्र, भविष्य निधि अग्रिम, भविष्य निधि से अंतिम निकासी, मेडिकल रिम्बरसमेंट, पासपोर्ट के अनापत्ति प्रमाण पत्र, अखिल भारतीय अवकाश, अंतर जिला स्थानांतरण, अनुकंपा पर नौकरी के लिए, मेडिकल बिल इम्बरसमेंट, शिकायती पत्र, नये राशन कार्ड के निर्गत, राशन कार्ड की छाया प्रति, राशन कार्ड में नाम जोड़ने, राशन कार्ड में दर्ज नाम के संशोधन में, जाति प्रमाण पत्र, आवासीय, प्रमाण पत्र, अनुसूचित जाति प्रमाण पत्र, पिछड़ी जाति प्रमाण पत्र, ग्रामीण क्षेत्र प्रमाण पत्र, अत्यंत पिछड़ी जाति प्रमाण पत्र, कृषि आय प्रमाण पत्र, विलंब से मृत्यु प्रमाण के लिए, विलंब से जन्म प्रमाण पत्र के लिए, जन्म प्रमाण पत्र निबंधन, जन्म प्रमाण पत्र में संशोधन, मृत्यु प्रमाण पत्र में संशोधन, हिंदू मैरेज एक्ट के तहत निबंधन, स्पेशल मैरज एक्ट के तहत विवाह तथा उत्तराधिकारी के उपरांत आश्रित प्रमाण पत्र आदि हैं। (आज, 19.1.2015)

उपभोक्ताओं को नहीं देना होगा शपथ पत्र

एलपीजी उपभोक्ताओं को एक बहुत बड़ी राहत मिली है। राहत की बात यह है कि एलपीजी उपभोक्ताओं को अब किसी भी काम के लिए कोर्ट से एफेडेविट (शपथ-पत्र)की जरूरत नहीं है। अब सभी काम बिना एफिडेबिट के होगा। चाहे उपभोक्ताओं को नया कनेक्शन लेना हो या नाम ट्रांसफर करना हो। सभी काम एक ही आवेदन पर होगा। इसके लिए पूर्व में उपभोक्ताओं को एफिडेबिट कराने में 250 से 300 रुपए खर्च होते थे। अब इसकी जरूरत नहीं है। आईओसी ने स्पष्ट कर दिया है कि यदि कोई गैस एजेंसी नए कनेक्शन लेने में या नाम परिवर्तन कराने में एफेडेबिट की मांग करती है तो इसकी शिकायत तेल कंपनी के पदाधिकारी से की जा सकती है।

आईओसी के अधिकारी ने बताया कि पहले नया कनेक्शन लेने में या नाम ट्रांसफर करवाने में एफेडेविट देना पड़ता था। नाम परिवर्तन करने में भी एफेडेविट की जरूरत पड़ती थी, लेकिन अब इसकी जरूरत नहीं है। उपभोक्ता स्व अभिप्रमाणित कर तेल कंपनियों को आवेदन देगा कि उसके नाम से कोई गैस कनेक्शन नहीं है। इस कारण उन्हें नया कनेक्शन मिलना चाहिए। इसके अलावा एजेंसी का ब्ल्यू बुक खो जाने पर भी उपभोक्ताओं को एजेंसी में एफ आई आर देने की जरूरत नहीं है। इसके लिए भी उपभोक्ता एक आवेदन लिखकर उसे स्व अभिप्रमाणित कर काम करा सकता है। (साभार: हिन्दुस्तान, 14.1.2015)

कानून कड़ा करने की तैयारी में जुटा केंद्र

केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय दवाओं के परीक्षणों को लेकर पहली बार सख्त कानूनी प्रावधान करने जा रहा है। इन प्रावधानों का उल्लंघन करने पर क्लिनिकल ट्रायल में लगी एजेंसियों के संचालकों को तीन साल तक जेल और पांच लाख का जुर्माना भरना पड़ सकता है। सख्त प्रावधानों के लिए सरकार ने ड्रग एवं कॉस्मेटिक्स एक्ट में संशोधन के लिए विधेयक तैयार कर लिया है।

(विस्तृत : हिन्दुस्तान, 11.1.2015)

अब दावोस में 'मेक इन इंडिया'

बीते साल जोर-शोर से 'मेक इन इंडिया' अभियान के आगाज के बाद सरकार अब दावोस के होने वाले विश्व आर्थिक मंच के चार दिवसीय सम्मेलन में बड़ी संख्या में जुटने वाले राजनेताओं और कारोबारी दिग्गजों के सामने इस कार्यक्रम को रखेगी।

स्विट्जरलैंड के इस शहर में हो रहे सम्मेलन में दुनिया भर के लगभग 2, 500

राजनेता और कारोबारी दिग्गज भाग लेंगे। वित्त मंत्री अरुण जेटली भारतीय प्रतिनिधिमंडल की अगुआई करेंगे और नए वैश्विक परिदृश्य 'मेक इन इंडिया कार्यक्रम' को सही साबित करने की कोशिश करेंगे। (साभार : बिज़नेस स्टैंडर्ड, 21.1.2015)

देश में गैर वन भूमि 74.73% जबकि बिहार में 89.84%

राष्ट्रीय स्तर पर बिहार गैर वन भूमि वाले राज्यों में सबसे अव्वल है। देश में कुल भौगोलिक क्षेत्र का 74.736 प्रतिशत भूमि गैर वन भूमि की है, जबकि बिहार में कुल गैर वन भूमि 89.84 प्रतिशत है। बिहार अत्यंत सघन वन क्षेत्र, मध्यम सघन वन क्षेत्र, खुला वन, वनाच्छादन, वृक्ष आच्छादन और झाड़ीदार अवकृष्ट वन क्षेत्र में भी राष्ट्रीय औसत से काफी पीछे है। भारतीय वानिकी सर्वेक्षण संस्थान, देहरादून की वनों की सर्वेक्षण रिपोर्ट में यह खुलासा हुआ है।

• देश में प्रति व्यक्ति औसतन वन क्षेत्र 0.062 हेक्टेयर, जबकि-बिहार में 0.0090-हेक्टेयर • भारत में 32, 87, 263 वर्ग किलो मीटर वन क्षेत्र, जबकि बिहार में 9.455 वर्ग किलोमीटर।

देश और बिहार में वनों की तुलनात्मक स्थिति

वानाच्छादन	भारत		बिहार	
	रकबा वर्ग किमी	भौगोलिक क्षेत्र का प्रतिशत	रकबा वर्ग किमी	भौगोलिक क्षेत्र का प्रतिशत
अत्यंत सघन वन क्षेत्र	83502	2.54	247	0.262
मध्यम सघन वन	318745	9.686	3380	3.598
खुला वन	295651	8.993	3664	3.891
कुल वनाच्छादन	697898	21.23	7291	7.742
वृक्ष आच्छादन	91266	2.776	2164	2.298
वनाच्छादन + वृक्षाच्छादन	789164	24.006	9455	10.04
झाड़ीदार अवकृष्ट वन	41383	1.258	115	0.12
गैर वन भूमि	2456716	74.736	84593	89.84

बिहार में चल रहीं कई योजनाएं : बिहार में यह हाल तब है, जब वन क्षेत्र बढ़ाने के लिए वन पर्यावरण विभाग ने कई कार्यक्रम चला रखे हैं। वन पर्यावरण विभाग ने सूबे में वन क्षेत्र में वृद्धि के लिए मुख्यमंत्री छात्र पौधरोपण योजना, वन्य प्राणी दत्तक ग्रहण योजना, वृक्ष संरक्षण योजना, कृषि वानिकी योजना और मुख्यमंत्री निजी पौधाशाला योजना चला रखी है। वृक्ष सुरक्षा दिवस और बिहार पृथ्वी दिवस भी मनाया जा रहा, किंतु वन क्षेत्र में बिहार राष्ट्रीय औसत से काफी पीछे चल रहा है। बिहार में कुल 9.455 वर्ग किलो मीटर में वन क्षेत्र है। यानी प्रति व्यक्ति बिहार में औसतन वन क्षेत्र 0.0090 हेक्टेयर है, जबकि देश में प्रति व्यक्ति औसतन वन क्षेत्र 0.062 हेक्टेयर है। (साभार : प्रभात खबर, 19.1.2015)

आधार से जुड़ेगा वोटर आइडी

प्रधानमंत्री की मतदाता दिवस पर अपील

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों से अपील की कि वे चुनाव आयोग के इस साल के 'सरल पंजीकरण, आसान सुधार' की थीम का भरपूर इस्तेमाल करें और खुद को मतदाता के रूप में दर्ज कराएं। प्रधानमंत्री ने ट्विटर पर अपने संदेश में लिखा, 'मैं सभी देशवासियों को राष्ट्रीय मतदाता दिवस की बधाई देता हूँ।' सरकार ने राजनीतिक प्रक्रिया में युवाओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए निर्वाचन आयोग के स्थापना दिवस 25 जवनरी, 2011 को राष्ट्रीय मतदाता दिवस के रूप में मनाने की शुरूआत की थी। (विस्तृत : दैनिक जागरण, 26.1.2015)

तौलकर देखें, सिलेंडर में गैस कम तो नहीं!

काम की खबर : वेंडर से गैस की डिलीवरी लेते वक्त सिलेंडर को तौलकर जरूर देख लें कि उसमें गैस कम तो नहीं है। तेल कंपनियों का स्पष्ट निर्देश है कि उपभोक्ता के कहने पर वेंडर को सिलेंडर तौलना ही होगा। यदि वेंडर ऐसा नहीं करता है तो गैस न लें और इसकी शिकायत तुंरत एजेंसी या कंपनी के पास करें।

गड़बड़ी करते हैं वेंडर : वेंडर सिलेंडर का पिन चेक करने के लिए उसका सील तोड़कर दिखाते हैं। इसमें कई बार पहले से तोड़े गए सील पर आपका ध्यान नहीं जाता होगा। इसी कारण कई बार लीकेज सिलेंडर मिलने की भी शिकायत आती है। (विस्तृत : हिन्दुस्तान, 21.1.2015)

बिहार सरकार
श्रम संसाधन विभाग

अधिसूचना

पटना, दिनांक 3.2.2015

एस.ओ. बाल श्रमिक (प्रतिषेध एवं विनियमन) अधिनियम, 1986 (संख्या-61/1986) की धारा-17 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा श्रम संसाधन विभाग में एतद विषयक पूर्व में निर्गत अधिसूचना संख्या-1/सी. एल.-1019/97 श्र. नि.-1787) दिनांक 17.05.1997 को अवक्रमित करते हुए बिहार राज्यपाल निम्नांकित तालिका के स्तंभ-2 में दर्शाये गये पदाधिकारियों को 'निरीक्षक' नियुक्त करते हैं तथा निदेश देते हैं कि उक्त निरीक्षक उपर्युक्त अधिनियम के अंतर्गत अपने क्षेत्राधिकार की स्थानीय सीमाओं के भीतर सभी प्रतिष्ठानों (कारखाना और गैर कारखाना) के लिए अपने कृत्यों का प्रयोग करेंगे।

क्रमांक	पदाधिकारी/कर्मचारी का पदनाम	प्राधिकृत क्षेत्र
	श्रम विभाग के पदाधिकारी	
1.	श्रमायुक्त, बिहार	सभी प्रतिष्ठान (कारखाना एवं गैर कारखाना)
2.	निदेशक, कृषि श्रमिक, बिहार, पटना	कारखाना अधिनियम, 1948 के अंतर्गत आने वाले प्रतिष्ठानों को छोड़ कर
3.	सभी संयुक्त श्रमायुक्त	सभी प्रतिष्ठान (कारखाना एवं गैर कारखाना)
4.	सभी उप श्रमायुक्त (कृषि श्रमिक सहित)	कारखाना अधिनियम, 1948 के अंतर्गत आने वाले प्रतिष्ठानों को छोड़ कर
5.	मुख्य कारखाना निरीक्षक/ सभी उप मुख्य कारखाना निरीक्षक	केवल कारखाना अधिनियम, 1948 के अंतर्गत आने वाले प्रतिष्ठानों के लिए
6.	सभी सहायक श्रमायुक्त (कृषि श्रमिक सहित)	कारखाना अधिनियम, 1948 के अंतर्गत आने वाले प्रतिष्ठानों को छोड़ कर
7.	सभी कारखाना निरीक्षक	केवल कारखाना अधिनियम, 1948 के अंतर्गत आने वाले प्रतिष्ठानों के लिए
8.	सभी श्रम अधीक्षक (कृषि श्रमिक सहित)	कारखाना अधिनियम, 1948 के अंतर्गत आने वाले प्रतिष्ठानों को छोड़ कर
9.	सभी श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी	तदैव
	जिला/अनुमंडल/प्रखंड स्तरीय पदाधिकारी	
10.	सभी जिला पदाधिकारी	सभी प्रतिष्ठान (कारखाना एवं गैर-कारखाना)
11.	सभी उप विकास आयुक्त	तदैव
12.	सभी अनुमंडल पदाधिकारी	कारखाना अधिनियम, 1948 के अंतर्गत आने वाले प्रतिष्ठानों को छोड़ कर
13.	सभी अंचलाधिकारी	तदैव
14.	सभी प्रखंड विकास-पदाधिकारी	तदैव
	स्थानीय निकाय के पदाधिकारी	
15.	नगर आयुक्त/अपर नगर आयुक्त, सभी नगर निगम	तदैव
16.	सभी कार्यपालक पदाधिकारी, नगर पंचायत/नगर परिषद	तदैव
17.	सभी ग्राम पंचायत सचिव	तदैव
	पर्यवेक्षीय पदाधिकारी	
18.	सभी अंचल निरीक्षक	तदैव
19.	सभी ग्राम पंचायत पर्यवेक्षक	तदैव
20.	सभी सहकारिता प्रसार पदाधिकारी	तदैव

संख्या 1/सी. एल. 10-03/2015) 348
बिहार राज्यपाल के आदेश से
ह/०
सरकार के अवर सचिव, श्रम संसाधन विभाग

आरटीआई : करप्शन की काट आपके हाथ

2005 में आम नागरिकों को ऐसा हथियार मिला, जिसकी हमें काफी जरूरत थी। राइट टु इंफॉर्मेशन एक्ट के लागू हो जाने से आम जनता को हर वो चीज जानने का अधिकार मिल गया है, जिसका संबंध उसकी जिंदगी से है। सरकारी विभागों से करप्शन का सफाया करने का यह अचूक हथियार है। हालांकि लोग अब भी इसके इस्तेमाल और अहमियत के बारे में ज्यादा नहीं जानते। 66 वें गणतंत्र दिवस के मौके पर आज हम आपको इस मौलिक अधिकार से जुड़े हर पहलु से रुबरु करवा रहे हैं।

आपको ताकत देता है यह हथियार : 'सूचना का अधिकार' अधिनियम 2005 के तहत भरतीय कानून हमें सूचना का अधिकार देता है। इस अधिनियम के अनुसार, ऐसी इनफॉर्मेशन जिसे संसद या विधानमंडल सदस्यों को देने से इनकार नहीं किया जा सकता, उसे किसी आम व्यक्ति को देने से भी इनकार नहीं किया जा सकता। इसलिए अब अगर आपके स्कूल के टीचर हमेशा गैर-हाजिर रहते हों, आपके आसपास की सड़कें खराब हालत में हों, सरकारी अस्पतालों में मशीन खराब होने नाम पर जांच न हो, हेल्थ सेंटर्स में डॉक्टर या दवाइयां न हों, अधिकारी काम के नाम पर रिश्वत मांगें या फिर राशन की दुकान पर राशन ही न मिले तो आप सूचना के अधिकार यानी आरटीआई के तहत ऐसी सूचनाएं पा सकते हैं। यह अधिकार आपको और ताकतवर बनाता है।

क्या है आरटीआई? : सरकारी कार्यप्रणाली में खुलापन और पारदर्शिता लाने के लिए सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 लाया गया है। यह लोकतांत्रिक संस्थानों को मजबूत बनाने, करप्शन हटाने, जनता को अधिकारों से लैस बनाने और राष्ट्र के विकास में नागरिकों कीभागीदारी बढ़ाने में मील का पत्थर साबित हुआ है।

क्या हैं अधिकार ? : • हर पब्लिक अथॉरिटी में एक या अधिक अधिकारियों को जन सूचना अधिकारी के रूप में अपॉइंट करना जरूरी है। आम नागरिकों द्वारा मांगी गई सूचना को समय पर उपलब्ध कराना इन अधिकारियों की जिम्मेदारी होती है। • इस अधिनियम में राइट टु इंफॉर्मेशन सिर्फ भारतीय नागरिकों को ही मिला है। इसमें निगम, यूनियन, कंपनी वगैरह को सूचना देने का प्रावधान नहीं है। क्योंकि ये नागरिकों की परिभाषा में नहीं आते। • अगर किसी निगम, यूनियन, कंपनी या एनजीओ का कर्मचारी या अधिकारी आरटीआई दाखिल करता है तो उसे सूचना दी जाएगी, बशर्ते उसने सूचना अपने नाम से मांगी हो, निगम या यूनियन के नाम पर नहीं।

कैसी इंफॉर्मेशन? : • जनता को किसी पब्लिक अथॉरिटी से ऐसी इंफॉर्मेशन मांगने का अधिकार है जो उस अथॉरिटी के पास उपलब्ध है या उसके नियंत्रण में है। इस अधिकार में उस अथॉरिटी के पास या नियंत्रण में मौजूद कृति, दस्तावेज या रिकॉर्ड, रिकॉर्डों या दस्तावेजों के नोट्स, प्रमाणित कॉपी और दस्तावेजों के सर्टिफाइड नमूने लेना शामिल है। • नागरिकों को डिस्क, फ्लॉपी, टेप, विडियो कैसेट या किसी और इलेक्ट्रॉनिक या प्रिंटआउट के रूप में सूचना मांगने का अधिकार है। शर्त यह है कि मांगी गई सूचना उसमे पहले से मौजूद हो। • आवेदक को सूचना आम तौर पर उसी रूप में मिलनी चाहिए जिसमें वह मांगता है। अगर कोई विशेष सूचना दिए जाने से पब्लिक अथॉरिटी के संसाधनों का गलत इस्तेमाल होने की आशंका हो तो सूचना देने से मना किया जा सकता है। • अक्सर यह देखने में आता है कि तमाम सिविक एजेंसियां जैसे नगर निगम, ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट से जनता को ढेरों शिकायतें रहती हैं कि उनके लेटर पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। ऐसे में आप अपनी शिकायत के कुछ समय बाद सूचना के अधिकार के तहत संबंधित विभाग से अपने लेटर पर हुई कार्रवाई की सिलसिलेवार जानकारी ले सकते हैं।

इन बातों का रखें ध्यान : • आप जब भी आरटीआई के तहत जानकारी मांगे तो हमेशा संभावित जवाबों को ध्यान में रखकर अपने सवाल तैयार करें। आपका जोर कम से कम शब्दों में ज्यादा सूचना प्राप्त करने पर होना चाहिए। • अगर आप अपने आवेदन में कुछ दस्तावेजों की मांग कर रहे हैं तो संभावित शुल्क पहले ही एप्लिकेशन शुल्क के साथ जमा कर दें। जैसे आपने चार से पाँच डॉक्यूमेंट मांगे हैं तो आप 10 रुपए के बजाय 20 रुपए का पोस्टल ऑर्डर, ड्राफ्ट या नकद जमा कर सकते है। ऐसे में सूचना अधिकारी द्वारा आपसे अतिरिक्त धनराशि मांगने और आपके द्वारा उसे जमा किए जाने में बीत रहे समय को बचाया जा सकता है। • पोस्टल ऑर्डर में पूरी जानकारी भरकर ही संबधित अधिकारी को भेजें। बिना नाम के पोस्टल ऑर्डर का गलत इस्तेमाल होने की संभावना के साथ-साथ जन सूचना अधिकारी द्वारा उसे लौटाया भी जा सकता है।

एप्लिकेशन देने के बाद : • अगर आपने अपनी ऐप्लिकेशन जन सूचना अधिकारी को दी है तो वह आपको 30 दिन के अंदर सूचना मुहैया कराएगा। साथ ही उसके जवाब में प्रथम अपीलीय अधिकारी का नाम व पता भी दिया जाना जरूरी है। अगर आपने एप्लिकेशन सहायक सूचना अधिकारी को दी है तो उसकी समय सीमा 35 दिन है। • एप्लिकेंट द्वारा मांगी गई सूंचना का संबंध अगर किसी व्यक्ति की जिंदगी या आजादी से जुड़ा हो तो सूचना अधिकारी को एप्लिकेशन मिलने के 48 घंटों के अंदर इंफॉर्मेशन देनी होगी। • कुछ विशेष परिस्थितियों में ही जन सूचना अधिकारी आपकी ऐप्लिकेशन लेने से इनकार कर सकता है। • अगर एप्लिकेशन किसी और जन सूचना अधिकारी या पब्लिक अथॉरिटी के नाम पर हो।

यहां नहीं लागू होता कानून : किसी भी खुफिया एजेंसी की ऐसी जानकारियां जिनके सार्वजनिक होने से देश की सुरक्षा और अखंडता को खतरा हो, को इस कानून के दायरे से बाहर रखा गया है। निजी संस्थानों को भी इस दायरे से बाहर रखा गया है। लेकिन इन संस्थाओं की सरकार के पास उपलब्ध जानकारी को संबंधित सरकारी विभाग से प्राप्त किया जा सकता है। इंटेलीजेंस एजेंसियों द्वारा मानवाधिकार उल्लंघन होने और इन संस्थाओं में भ्रष्टाचार के मामलों की जानकारी ली जा सकती है। अन्य देशों के साथ भारत के संबंध से जुड़े मामलों की जानकारी को भी इस कानून के दायरे से बाहर रखा गया है।

ऐसा भी होता है : • अगर आपकी अपील पर संबधित अधिकारी को सूचना आयोग द्वारा आर्थिक रूप से दंडित किया जाता है तो जुर्माने के रूप में उससे ली गई राशि सरकारी खजाने में जमा की जाती है। हालांकि धारा 19(8) (बी) के अंतर्गत आवेदक को किसी हानि या नुकसान के लिए मुआवजा दिया जा सकता है। • कुछ अधिकारी ऐप्लिकेंट को मीटिंग के लिए बुलाते हैं, यह कानून पब्लिक अथॉरिटीज को मीटिंग के लिए आवेदकों को बुलाने या आवेदक को व्यक्तिगत रूप से आकर मांगी गई सूचना ले जाने पर जोर देने का अधिकार नहीं देता है। • अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके द्वारा सूचना मांगे जाने से आपके जान-माल को खतरा हो सकता है तो आप सूचना दूसरे व्यक्ति के नाम पर मांग सकते है।

कैसे फाइल करें आरटीआई ? : • सादे कागज पर हाथ से लिखकर या टाइप कराकर 10 रुपये की फिक्स्ड फीस के साथ अपनी एप्लिकेशन संबंधित सूचना अधिकारी के पास किसी भी रूप में जमा कर सकते हैं। • आप हिंदी, अंग्रेजी या किसी भी स्थानीय भाषा में एप्लिकेशन दे सकते हैं। • एप्लिकेशन फीस नकद, डिमांड ड्राफ्ट या पोस्टल ऑर्डर से दी जा सकती है। • डिमांड ड्राफ्ट या पोस्टल ऑर्डर संबंधित विभाग के अकाउंट ऑफिसर के नाम पर होना चाहिए। • डिमांड ड्राफ्ट के पीछे और पोस्टल ऑर्डर में दी गई जगह पर अपना नाम और पता जरूर लिखें। • आरटीआई एक्ट जम्मू और कश्मीर के अलावा पूरे देश में लागू है। • अगर आप फीस नकद जमा कर रहे हैं तो रसीद लें। • गरीबी रेखा के नीचे आने वाले एप्लिकेंट को किसी भी तरह की फीस देने की जरूरत नहीं है। इसके लिए उसे अपना बीपीएल सर्टिफिकेट लगाना होगा। • सिर्फ जन सूचना अधिकारी को एप्लिकेशन भेजते समय ही फीस देनी होती है। पहली अपील या सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमिश्नर को दूसरी अपील के लिए किसी प्रकार की फीस नहीं देनी होती। • अगर सूचना अधिकारी आपको समय पर सूचना उपलब्ध नहीं करा पाता है और आपसे तीस दिन की समय सीमा गुजरने के बाद डॉक्यूमेंट उपलब्ध कराने के नाम पर अतिरिक्त धनराशि जमा कराने के लिए कहता है तो इस स्थिति में वो आपको मुफ्त डॉक्यूमेंट उपलब्ध कराएगा।

(साभार : आई-नेक्स्ट, 25.1.2015)

यूएएन धारकों का पीएफ ट्रांसफर एक दिन में

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) ने यूनिवर्सल एकाउंट नंबर (यूएएन) धारकों के लिए पीएफ ट्रांसफर की प्रक्रिया को आसान कर दिया है। ईपीएफओ ने यह व्यवस्था लागू कर दी है कि जिन कर्मचारियों का यूएएन एक्टिवेट हो गया है, उनका पीएफ ट्रांसफर नए संशोधन के साथ आए फार्म 11 के जरिए ही हो जाएगा। उन्हें अब फार्म 13 की जरूरत नहीं पड़ेगी। पहले एक संस्थान से दूसरे संस्थान में पीएफ ट्रांसफर के लिए फार्म 13 भरा जाता था, जिसके जरिए पीएफ ट्रांसफर में कम से कम 15 से 20 दिन लगते थे। अब नई व्यवस्था में पीएफ ट्रांसफर 24 घंटे के भीतर हो जाएगा।

पहले यह थी व्यवस्था : कम्प्यूटराइजेशन और ऑन लाईन प्रक्रिया के बाद भी पीएफ ट्रांसफर के लिए फार्म 13 और फार्म 10 भरा जाता था। इसके बाद वह पूर्व के संस्थान में जाता था। वहां से मंजूरी मिलने के बाद पीएफ ट्रांसफर की प्रक्रिया पूरी होती थी, लेकिन राशि तब तक नए खाते में नहीं आती थी, जब तक एनेक्सचर-के डाउन लोड न हो। इसमें कम से कम 15-20 दिन लग जाते थे। कई मामलों में तो यह भी देखने में आया कि दो-दो माह तक लग जाते हैं।

अब ये होगी : एक पेज के फार्म 11 को तीन पेज का कर दिया गया है। पीएफ सदस्य के पास यूएएन है और संबंधित कंपनी या संस्था भी डिजिटली ईपीएफओ से जुड़ी है तो 24 घंटे के भीतर पीएफ ट्रांसफर हो जाएगा। **(विस्तृत : दैनिक भास्कर, 9.1.2015)**

EDITORIAL BOARD

Editor
O. P. Tibrewal
Secretary General

Ramchandra Prasad
Chairman
Library & Bulletin Sub-Committee

Printer & Publisher
A. K. Dubey
Asst. Secretary

Khemchand Chaudhary Marg, Patna - 800 001 • Ph. : 0612-3200646, 2677605, 2677635 • Fax No. : 0612-2677505
E-mail : bccpatna@gmail.com • Website : www.biharchamber.org
Design & Printed by : Sharada Enterprises, Patna, Ph.:0612-2690803, 2667296